



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-27072024-255803
CG-TL-E-27072024-255803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2840]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2840]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 2981(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20'च' की उप-धारा(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित मध्यस्त को उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए, जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से प्रभावी है, महाराष्ट्र राज्य में “ खंडवा - अकोला आमान परिवर्तन (एमजी से बीजी) ” की विशेष रेलवे परियोजना के संबंध में, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित, ऐसी विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए नियुक्त करती है.

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	जिला कलक्टर, अकोला	अकोला
2.	जिला कलक्टर, बुलडाणा	बुलडाणा

[फा. सं. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20F/260724]

हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-V

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 26th July, 2024

S.O. 2981(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of " Khandwa - Akola Gauge Conversion (MG to BG) " in the state of Maharashtra relating to district mentioned in column (3) of the said table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

TABLE

S.No.	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	District Collector, Akola	Akola
2.	District Collector, Buldana	Buldana

[F. No. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20F/260724]

HEMANT KUMAR BHAGORIA, Chief Engineer/Con-V